संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारी के पदों हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट

निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल एवं स्वप्रमाणित 02–02 छायाप्रति लेकर उपस्थित होवें। समस्त प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 28.05.2023 अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है (सरल क्रमांक 12 एवं 16 को छोड़कर) :–

1. भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति
2. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा प्रवेश पत्र।
3. दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी आमंत्रण/ऑफर पत्र की प्रति।
4. कक्षा 10वीं की अंकसूची।
5. कक्षा 12वीं की अंकसूची।
6. विज्ञापन अनुसार आवश्यक तकनीकी अर्हता संबंधी समस्त अंकसूची। (सभी वर्षों की वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा की अंकसूची)
7. सी.आई.टी.एस.(ए.टी.आई./ सी.टी.आई./एन.व्ही.टी.आई./आर.व्ही.टी.आई./आई.टॉट से उत्तीर्ण) संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
8. विज्ञापन अनुसार जिन व्यवसायों में हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैध स्थायी ड्राइविंग लायसेंस अनिवार्य है, उन व्यवसायों के अभ्यर्थियों को वैध स्थायी ड्राइविंग लायसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. विज्ञापन अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र।
10. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, जिसमें उनकी दिव्यांगता के प्रकार का विज्ञापन में दर्शाये अनुसार स्पष्ट उल्लेख हो। (मात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु)
11. भूतपूर्व सैनिक हो तो तत्संबंधी प्रमाण–पत्र, साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट।
12. सेवारत हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
13. छत्तीसगढ़ मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।
14. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो तो)
15. आधार कार्ड की मूल प्रति।
16. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने के 03 वर्ष के भीतर का आय प्रमाण पत्र।
17. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनके जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में रू. 50/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र (संलग्न प्रारूप–एक अनुसार)
18. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के सत्य एवं वास्तविक होने के संबंध में रू. 50/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र (संलग्न प्रारूप–दो अनुसार)